रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 945] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 1978/अश्विन 17, 1900
No. 945] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1978/ASVINA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 493(अ)/(ई)/आव. वस्तु/शर्करा.—शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सा. का. नि. सं. 1251/आव. वस्तु/शर्करा तारीख 30 अगस्त, 1971 और सा. का. नि. सं. 162 (ई)/आव. वस्तु/शर्करा तारीख 4 मार्च, 1978 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि—

(1) निम्नलिखित स्थानों में कोई भी मान्यताप्राप्त व्यवहारी किसी एक समय पर स्टाक में उतने परिमाण से अधिक निर्वात कटाइ शर्करा (वैक्यूम पैन शुगर) नहीं रखेगा जितनी हर एक के सामने वर्णित है,

(1) कलकत्ता और विस्तारित क्षेत्र में—

(क) मान्यताप्राप्त व्यवहारी जो पश्चिमी बंगाल के बाहर से शर्करा आयात करते हैं——11,250 क्विंटल

(ख) अन्य मान्यताप्राप्त व्यवहारी———1,500 क्विंटल

(2) अन्य स्थानों में—

(क) पांच लाख या अधिक की जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में——1500 क्विंटल

(ख) एक लाख, और अधिक किन्तु पांच लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में——750 क्विंटल

(ग) एक लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगरों में——375 क्विंटल परन्तुक यह कि इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा रखे गए शर्करा के स्टाक को लागू नहीं होगी :

(1) सरकार मध्य स्टाक , अथवा

(2) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर द्वारा नाम निर्देशित किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टाक , अथवा

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टाक

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, "कलकत्ता और विस्तारित क्षेत्र" से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो पश्चिमी बंगाल सरकार की अधिसूचना संख्या 7752-एस. एफ. एस/14 आर-92/64, तारीख 16 दिसम्बर, 1964 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) कोई भी मान्यताप्राप्त व्यवहारी किसी भी समय 5,000 क्विंटल से अधिक खण्डसारी (ओपेन पैन शुगर) का स्टाक नहीं रखेगा ।

[सं. 1/16/77-एस पीबाई.]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1978

G.S.R. 493(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in supersession of the orders of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) Nos. G.S.R. 1251/Ess. Com./Sugar, dated the 30th August, 1971 and G.S.R. 162(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 4th March, 1978, the Central Government hereby directs that,—

(i) no recognised dealers in the places mentioned below shall keep in stock at any time vacuum pan sugar in excess of the quantities mentioned against each,—

(1) In Calcutta and extended area—

(a) recognised dealers who import sugar from outside West Bengal 11,250 quintals

(b) other recognised dealers ..1,500 quintals

(2) in other places—

(a) in cities and towns with a population of five lakhs or more ...1,500 quintals

(b) in cities and twons with a population of one lakh and more, but less than five lakhs ..750 quintals

(c) in other towns with a population of less than one lakh ..375 quintals

Provided that nothing in this Order shall apply to the holding of stocks of sugar :

(i) on Government account; or

(ii) by the recognised dealers nominated by State Government or an officer authorised by it to hold such stock for distribution through fair price shops; or

(iii) by the Food Corporation of India.

Explanation.—For the purpose of this Order, "Calcutta and extended area" means the areas specified in the Schedule to the notification of the Government of West Bengal No. 7752 F.S./F.S./14 R. 92/61, dated the 16th December, 1964.

(ii) no recognised dealer shall keep in stock at any time Khandsari (open pan sugar) in excess of five thousand quintals.

[No. 1-16/77-SPY]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978